सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 15, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 06, 2021	
Agrahayana 15, Monday , Saka 1943- December 06, 2021	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

आदेश

जयपुर, नवम्बर 25, 2021

संख्या प.2(क)( )जॉच/डीएलबी/2021/2409 :-श्री बलविन्दर सिंह पार्षद, नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नं. 49 के विरूद्व ग्राम कुन्हाडी व बालीता में नगर विकास न्यास कोटा की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई कर जमीन को खुर्द-बुर्द करने से संबंधित प्रकरण में जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि श्री बलवेन्द्र सिंह के द्वारा नगर विकास न्यास कोटा की खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई कर जमीन को खुर्द-बुर्द करने से संबंधित प्रकरण में यू.आई.टी तहसीलदार के द्वारा थाना कुन्हाडी जिला कोटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट-संख्या 0230/2019 दर्ज करवाई गई। पुलिस अनुसंधान में नगर विकास न्यास कोटा की जमीन पर, अवैध रूप से मिटटी की खुदाई करने एवं जमीन को खुर्द-बुर्द करने में काम लि गई जेसीबी मशीन एवं अन्य वाहनों को श्री बलविन्दर सिंह के घर से जप्त किया जाकर, पुलिस द्वारा श्री बलविन्दर सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अनुसंधान के बाद जुर्म धारा 379, 447 भा.द.सं. बखुबी प्रमाणित मानते हुए पुलिस ने श्री बलविन्दर सिंह के विरूद्व भा.द.स. की धारा 379, 447 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। श्री बलविन्दर सिंह का उक्त कृत्य/आचरण राज. नगर पालिका अधि. 2009 की धारा 39 (1) (घ) (iii) के तहत होना पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3)(4) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने हेतु प्रकरण विधि विभाग को प्रेषित किया गया है। श्री बलविन्दर सिंह पार्षद, नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नं. 49 के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है। अत: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री बलविन्दर सिंह पार्षद, नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नं. 49 को सदस्य के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंबित करती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

दीपक नंदी,

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

3617

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।